

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

रकार बनाम एम 510 चमंडा राम नायक 6AS.

सन 2018

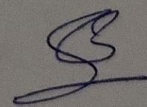
केस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 56

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
10/12/18	पटवारी हल्का <u>5 ASB.</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>6 AS.</u> के मुरब्बा नं. <u>185</u> के <u>0.506</u> बीघा, भूमिरकबा <u>453</u> राज है जिस पर श्री <u>एम</u> पुत्र श्री <u>चमंडा राम</u> जाति <u>नायक</u> सा. <u>6 AS.</u> ने अतिक्रमण कर सम्वत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावें। पत्रावली दिनांक <u>14/02/2018</u> को पेश है।	92
14-2-18	पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।	

11/5/18 पञ्चावली पेश हुई १८८ ५० ५८ डा. ५
 निवासी पेश की गई सतीश्वर बोलीसल
 अगरीश ८० मांगी बार बिजाने ६ १८
 की ६६०८ रु की रकम उमर बोली स्वीकार
 की गई १८८ डा. निवासी शरीर ८ दिने चाबक रु
 दिने ११/५/१८ डा. शरकोष के जमा करा दी गई
 जो अगरीश पञ्चावली की जावे! एवं माग रु बोली
 की जावे! पञ्चावली रुका डा. सतीश्वर को वे
 कट करवा कर लप्का डा. कट दिया गया है
 ताबत शरीर वफुद कट ली गई है पञ्चावली ने शे
 कारवाही अपेक्षित नहीं है अतः पञ्चावली फौजद
 हुमाद जेकट दारिलर दफतर है।

ब. रजिस्टर की पृष्ठ सं. २६... क्र. सं. ५...
 दिनांक २२-५-१८ राशि ६६०... दर्ज किया।



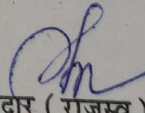
आलय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

वर्ष 2018

स्थान सरकार बनाम एम एस दामोदराम नाथन 64

निरणय दिनांक 14/2/2018

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयलस जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
2/11/8	पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् 2074 में भूमि रकबा राज दर्ज है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का <u>5A5B</u> का प्रतिवेदन दिनांक <u>25/1/18</u> को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी <u>एम</u> पुत्र <u>दामोदराम</u> जाति <u>नाथन</u> निवासी <u>645</u> को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक <u>645</u> मु.नं. <u>185/453</u> कुल <u>0-526</u> है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का <u>50%</u> गुणा राशि <u>202-</u> शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 <u>404B</u> को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निरणय आज दिनांक <u>14/2/18</u> को लिखवाया जाकर सुनाया गया।  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. <u>26</u> की क्रम सं. <u>18</u> दिनांक <u>12-3-18</u> को <u>202-</u> दर्ज किया गया।  ता 0 रा 0 ले 0	